न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :–अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 43/16 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. हनीफ पुत्र रहमान जाति मेव निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---------- अपीलांट

बनाम

1 रमेश

2 पप्पू पुत्रान हजारी जाति अहीर निवासी ग्राम रामवास झौपडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

3 धर्मवीर पुत्र हजारी जाति अहीर निवासी रामवास झौपडी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

4 उप पंजीयक तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

:------- असल रेस्पाडेण्टस

5 आसू पुत्र सत्तार

6 सुज्जा

7 इलयास पुत्रान चटोरा

8 अख्तर

9 फकरू

10 नसरू पुत्रान मोहरखां

11 ईसा पुत्र श्योदान जाति मेव निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:----- तरतीबी रेस्पाडेण्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, तिजारा

दिनांक 31.5.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. वकील रेस्पो0सं0 1,2,3:- श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 29.7.2021

---

1 प्रस्तुत अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/2014 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 31.5.2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में इस्तकरारहक का दावा प्रस्तुत किया था और उस वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.12.2013 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था । दिनांक 31.5.2016 को तहत अदालत ने आदेश पारित किया कि प्रार्थी/वादी द्वारा आज दिनांक तक मरम्मत सवाल प्रस्तुत नहीं किया गया है, मृतक व्यक्ति के खिलाफ स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं चलाया जा सकता है । इस कारण स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । तहत अदालत के उक्त आदेश दिनांक 31.5.2016 से व्यथित होकर वादी प्रार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत में पेशी दिनांक 30.9.2015 को ही वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र, वकालतनामा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे । जिससे साबित है कि मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही की जा चुकी थी । लेकिन तहत अदालत ने वारिसान को रेकार्ड पर लेकर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत नहीं कराया और ना ही धारा 212 के प्रार्थना पत्र का मेरिटस पर निर्णय किया । धारा 212 के तीनों बिन्दू हमारे पक्ष में साबित है । इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 3 का कथन है कि इन्दर सिंह पुत्र पेडा सिंह पाकिस्तान से भारत आया था और उसे विस्थापित होने के नाते विवादित भूमि अलोट हुई थी। इन्दर सिंह से हजारी ने भूमि खरिदी थी। तथा उक्त बयनामा के आधार पर रेस्पो0 के पिता हजारी सिंह के नाम इन्तकाल दर्ज हो गया । उस इन्तकाल की प्रति स्वंय वादी अपीलांट ने तहत अदालत में पेश की है। वादी अपीलांट को मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अनेक अवसर प्रदान किये गये थे, परन्तु इन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया । कानूनन मृतक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण नहीं चल सकता । इसीलिये इनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य कथन यही है कि तहत अदालत में वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था । इसलिये तहत अदालत का यह कहना कतई गलत है कि वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । विद्वान वकील अपीलांट के इन तर्को के सम्बन्ध में हमने तहत पत्रावली एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया । तहत पत्रावली में वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है । ना ही अपील पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर उक्त मरम्मत सवाल के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है । विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस बताया कि उन्होंने दिनांक 30.9.15 को ही तहत अदालत में मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था । परन्तु अपीलांट ने अपने इस कथन की ताईद में दिनांक 30.9.2015 की मार्किंग की हुई उक्त दरख्वास्त की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है ।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट को मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अवसर तहत अदालत द्वारा प्रदान किये गये थे, परन्तु प्रार्थी अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । इसी कारण तहत अदालत ने स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.2016 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

29/7/2021

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर